

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक-प. 5(31) साप्र/3/82

जयपुर, दिनांक: 12.08.14

—:आज्ञा:—

विषय :- राजकीय अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन (बेसिक+मोबाईल+इन्टरनेट + ब्रॉडबैण्ड) पर एक मुश्त मासिक वित्तीय सीमा तक व्यय के निर्धारण बाबत।


राजकीय अधिकारीगण के निवास पर बेसिक टेलीफोन/मोबाईल /इन्टरनेट(ब्रॉडबैण्ड) उपलब्ध कराने बाबत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.08.2013 के अनुसार निर्धारित वित्तीय सीमा/कैटेगरी में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है। :-

क्र.सं.	पद	वर्तमान वित्तीय सीमा	वर्तमान कैटेगरी	संशोधित वित्तीय सीमा	संशोधित कैटेगरी
1	महाधिवक्ता, राजस्थान	5250 / - प्रतिमाह	5	9750 / - प्रतिमाह	2

आज्ञा दिनांक 14.08.2013 में उल्लेखित शेष शर्तें पूर्ववत यथावत रहेंगी।


यह आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. सं० 101403079 दिनांक 04.08.2014 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. महाधिवक्ता, राजस्थान।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
3. रक्षित पत्रावली।


(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव